जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

क्रमांकः–जविप्रा/अ.आ./एल.पी.सी./11/डी–1144 दिनांकः–17-8-11

कार्यवाही विवरण

प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 80वीं बैठक दिनांकः 11.08.11 को सांय 3.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में **"चिन्तन** सभा कक्ष" में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित अधिकारीगण का विवरण परिशिष्ठ 'अ' पर संलग्न है। बैठक में विचार विमर्श पश्चात निम्नांकित निर्णय लिये गये :–

क्र. सं	जोन नं.	प्रस्ताव संख्या	विषय	निर्णय
1.		80:1	प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 79वीं बैठक दिनांक 11.08.11 के कार्यवाही विवरण की पालना की समीक्षा एवं 52वीं से 79वीं बैठकों में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति की समीक्षा।	**I. 79वीं बैठक दिनांक 11.08.11:–** प्राधिकरण की भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की आयोजित 79वीं बैठक के कार्यवाही विवरण का अनुमोदन किया गया।
2.	7	80:2	चित्रकूट योजना के भूखण्ड संख्या डी–5/22 क्षेत्रफल 198 वर्गमीटर के विनिमय में चित्रकूट योजना का भूखण्ड संख्या 3/170 दिये जाने बाबत।	अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी) व उपायुक्त जोन–7 प्रकरण में मौका देखकर यह सुनिश्चित करे कि विनिमय हेतु प्रस्तावित भूखण्ड पूर्व आवंटित भूखण्ड के समकक्ष है। जयपुर विकास प्राधिकरण के परिपत्र दिनांक 25.02.09 के प्रावधानानुसार परीक्षण कर पुनः प्रस्तुत करे।
3.	6	80:3	श्री राधेश्याम सोनी पुत्र श्री मेवाराम सोनी को आवास गृह के आवंटन के संबंध में।	प्रकरण का पुनः परीक्षण किया जावे कि वर्ष 2007 में No अपील का निर्णय हो जाने के पश्चात् वर्ष 2011 में 4 वर्ष पश्चात् एजेण्डा क्यो लाया गया है। निदेशक विधि द्वारा पेरा 133 पर दी गई राय के बाबत भी जांच की जाकर प्रकरण आगामी बैठक में पूर्ण औचित्य के साथ प्रस्तुत करे।
4.	6	80:4	श्री मूलचन्द सोनी पुत्र श्री मेवाराम सोनी को आवास गृह आवंटन करने के संबंध में।	प्रकरण का पुनः परीक्षण किया जावे कि वर्ष 2003 में No अपील का निर्णय हो जाने के पश्चात् वर्ष 2011 में 8 वर्ष पश्चात् एजेण्डा क्यो लाया गया है। एलपीसी की 47वीं बैठक दिनांक 25.07.08 में लिये गये निर्णय के संबंध में जांच कर पूर्ण औचित्य के साथ प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत किया जावे।
आयुक्त महोदय की अनुमति से निम्न अतिरिक्त एजेण्डा पर चर्चा कर निर्णय लिये गये :–				
5.	12	80:4(1)	राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लि० को ग्राम जयरामपुरा में 33/11 केंवी सब स्टेशन हेतु 5000 वगमीटर भूमि आवंटन बाबत।	राजस्थान राज्य विधुत प्रसारण निगम लि० को 5000 वर्गमीटर भूमि नगरीय विकास विभाग के आदेश क्रमांक प–3(208)नविवि/3/95/पार्ट दिनांक 06.08.09 के अनुसरण मे आवासीय आरक्षित दर की 50 प्रतिशत पर आवंटन का निर्णय लिया गया।
6.	10	80:4(2)	चेयरमेन, जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी को को मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल हेतु ग्राम	प्रकरण पर विचार–विमर्श किया गया। श्री संदीप बख्शी, चेयरमैन जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी ने मेडीकल कॉलेज हेतु ग्राम भावगढ़ बन्धा की खसरा नं. 113, 114, 115,

To उपायुक्त (एल.पी.सी.) जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

			भावगढ़ बन्धा तह. सांगानेर के खसरा नं. 113, 114, 115, 140, 143 कुल किता 5 कुल रकबा 0. 69 है0 भूमि आवंटन बाबत।	140 व 143 कुल रकबा 0.69 है0 आवंटन की मांग की है। उक्त भूमि संस्था द्वारा क्रय की गई 38 बीघा 6 बिस्वा भूमि के मध्य अवस्थित होकर जविप्रा के स्वामित्व की है। जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड संस्था नहीं है। नगरिय विकास विभाग की नीति दिनांक 19.04.11 के अनुसार संस्था को सोसायटी एक्ट के अन्तर्गत रजिस्टर्ड होना चाहिये। राजस्थान राज पत्र में प्रकाशित सूचना दिनांक 29.03.08 में वर्णित परिभाषा के बिन्दु सं. 2 के "U" के अनुसार महिमा शिक्षा समिति जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी की स्पोन्सरिंग बॉडी है, तथा महिमा शिक्षा समिति को ग्राम भावगढ़ बन्धा में पूर्व में रियायती दर पर भूमि आवंटित की जा चुकी है। नगरीय विकास विभाग की नीति दिनांक 19.04.11 के बिन्दु सं. 5:7 के अनुसार "जिस संस्था को भूमि आवंटन किया जाना प्रस्तावित है, उसको पूर्व में उसी शहर में रियायती दर पर भूमि आवंटन नहीं होना चाहिये, इसकी छूट राज्य सरकार के स्तर पर दी जा सकेगी"। अतः उक्त 0.69 है0 भूमि आवासीय आरक्षित दर पर आवंटन की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भेजने का निर्णय लिया गया।
7.	11	80:4(3)	श्रीमती कृष्णा धोबी को विधाधरनगर में निर्मित क्वार्टर सं. 8/27 आवंटन करने बाबत।	विधाधरनगर योजना में वर्ष 1995 में कमजोर वर्गो के लिये आवास निर्माण कर आवंटन किये गये थे। श्रीमती कृष्णा धोबी पुत्री श्री राधेश्याम धोबी ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय व प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर परित्यक्ता व गरीब महिला होने के कारण विधाधरनगर योजना के क्वार्टर सं. 8/27, EWS आवंटन का अनुरोध किया है। प्रार्थीया की परीस्थिति को मध्यनजर रखते हुये मानवीय दृष्टिकोण के आधार पर विधाधरनगर के रिक्त भूखण्ड सं. 8/27 EWS को वर्ष 2002 मे आवंटित दर 80,000/-रू. पर अब तक का ब्याज जोडकर राशि जमा कराने पर आवंटित करने की अभिशंषा के साथ प्रकरण राज्य सरकार को भिजवाने का निर्णय लिया गया।
8.	8	80:4(4)	स्वर्ण विहार आवासीय योजना में पानी की टंकी आदि निर्माण हेतु 2500 वर्गमीटर भूमि आरक्षित करने बाबत।	स्वर्ण विहार योजना के सुविधा क्षेत्र में आरक्षित भूमि 5213.71 वर्गमीटर में से 2500 वर्गमीटर भूमि जलदाय विभाग को पानी की टंकी व संबंधित कार्यो हेतु आरक्षित करने का निर्णय लिया गया।
9.	7	80:4(5)	मंगलचन्द पुत्र श्री केशर लाल को गिरधारीपुरा के भूखण्ड सं. बी-1ए का आवंटन करने बाबत।	उपायुक्त जोन 7 को निर्देशित किया गया कि वे प्रकरण का भली-भांति परीक्षण कर प्रकरण आगामी बैठक में प्रस्तुत करे।

बैठक सधन्यवाद समाप्त की गई।

(एल.पी.सी.)
प्रति० आयुक्त/सचिव
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर
3. निजी सचिव, जयपुर विकास आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
4. जिला कलक्टर, जयपुर
5. मुख्य नगर नियोजक, राजस्थान, जयपुर
6. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जयपुर
7. मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, जयपुर
8. मुख्य अभियन्ता, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जयपुर
9. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, जयपुर
10. सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर
11. निदेशक(वित्त / अभि0 / आयोजना), जविप्रा, जयपुर
12. अतिरिक्त आयुक्त(पूर्व / प्रशासन / एल.पी.सी. / भूमि), जविप्रा, जयपुर
13. संयुक्त आयुक्त (संसाधन विकास एवं समन्वय), जविप्रा, जयपुर
14. अतिरिक्त निदेशक(राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
15. उपायुक्त जोन–1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14
16. जन सम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर
17. रक्षित पत्रावली

अति० आयुक्त (एल.पी.सी.)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

सहायक सचिव
एवं
अतिरिक्त आयुक्त (एल.पी.सी.)

परिशिष्ट 'अ'

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

उपस्थिति पत्र

भूमि एवं सम्पत्ति निस्तारण समिति की 80वी बैठक दिनांक 11.08.11 में उपस्थित अधिकारियों की सूची:–

क्र.सं.	नाम अधिकारी मय पद	एल.पी.सी. में पद
1.	श्री कुलदीप रांका, आयुक्त	अध्यक्ष
2.	श्रीमती शुचि शर्मा, कार्यवाहक सचिव	सदस्य
3.	श्री डी.सी. जबडा, निदेशक (वित्त)	सदस्य
4.	श्री एच. एस. संचेती, निदेशक (नगर आयोजना)	सदस्य
5.	श्री वी.एस. सुण्डा, निदेशक (अभियांत्रिकी)	सदस्य
6.	श्रीमती शुचि शर्मा, अतिरिक्त आयुक्त (एलपीसी)	सदस्य सचिव
7.	श्री पुखराज सैन, अतिरिक्त आयुक्त (पूर्व)	सदस्य
8.	श्री जाकिर हुसैन, अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पत्ति)	विशेष आमंत्रित
9.	श्री गिरीश पारासर, उपायुक्त जोन–2	विशेष आमंत्रित
10.	श्री हरिन्द्र सिंह, उपायुक्त जोन–6	विशेष आमंत्रित
11.	श्री अशोक शर्मा, उपायुक्त जोन–7	विशेष आमंत्रित
12.	श्री पुरूषोत्तम शर्मा, उपायुक्त जोन–8	विशेष आमंत्रित
13.	श्री ओंकारमल सैनी, उपायुक्त जोन–10	विशेष आमंत्रित
14.	श्री दिनेश पंवार, उपायुक्त जोन–11	विशेष आमंत्रित
15.	श्री ताराचन्द मंगावा, तहसीलदार जोन–12	विशेष आमंत्रित
16.	श्रीमती उषा जैन, जनसम्पर्क अधिकारी	विशेष आमंत्रित